उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020

(Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy -2020)

अनुक्रमणिका

अध्याय 1 : परिचय
1.1 आमुख (Preamble)

अध्याय 2 : परिकल्पना, मिशन, लक्ष्य
2.1 परिकल्पना (Vision)
2.2 मिशन (Mission)
2.3 लक्ष्य (Target)

अध्याय 3 : शासन विधि (Governance)
3.1 नोडल संस्था (Nodal Agency)
3.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU)
3.3 सशक्त समिति (EC)

अध्याय 4 : नीति का कार्यान्वयन
4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन (Policy period & Coverage)
4.2 नीति का प्रचार–प्रसार (Policy Promotion)
4.3 इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास (Infrastructure Development)
4.3.1 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC)
4.3.2 इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) पार्क
4.3.3 उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)
4.3.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों (MSME Units) को सहायता
4.4 ई–अपशिष्ट निस्तारण (e-Waste Handling)

अध्याय 5 : प्रोत्साहन
5.1 पूॅंजी उपादान
5.2 ब्याज उपादान
5.3 स्टाम्प ड्यूटी से छूट
5.4 पेटेन्ट्स लागत की प्रतिपूर्ति
5.5 भूमि हेतु प्राविधान
5.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट
5.7 कौशल विकास एवं अन्य सहायता
5.8 ई.एम.सी. विकास हेतु प्रोत्साहन
5.8.1 विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन
5.8.2 एकल इकाइयों हेतु प्रोत्साहन
5.9 प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स
5.10 फैब इकाइयॉ

अध्याय 6 : अर्ह उत्पाद

अध्याय 7 : शब्दावली

अध्याय 8 : संक्षिप्त रूप

अध्याय 1 : परिचय

1.1 आमुख (Preamble)

उत्तर प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिक भूमि, संसाधनों तथा सांस्कृतिक विरासत से अत्यन्त समृद्ध है। उत्तर प्रदेश, भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जहॉ लगभग 200 बिलियन अमेरिकन डालर से अधिक सकल घरेलू उत्पाद तथा लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या सहित उपभोक्ताओं का विशालतम आधार है। त्वरित औद्योगीकरण, मेट्रो रेल, एक्सप्रेसवेज तथा भारत के पश्चिमी तट को उसके पूर्वी तट से जोड़ने वाला फ्रेट कॉरीडोर्स जोकि राज्य से होकर गुजरता है, आईटी सिटी, आईटी पार्क्स एवॅ इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, इण्डस्ट्रियल जोन्स, प्रदेशव्यापी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, जेवर में एशिया के सबसे बड़े निर्माणाधीन विमानपत्तन तथा गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे पर प्रस्तावित भारत के प्रथम इलेक्ट्रानिक्स सिटी इत्यादि जैसी राजकीय परियोजनाओं द्वारा प्रदेश ने तीव्रगति से विकास तथा विकसित समाज की ओर, पथ प्राप्त कर लिया है।

ओप्पो मोबाइल्स, हॉयर इलेक्ट्रानिक्स, टीसीएस, आईबीएम, विप्रो, एसटी माइक्रोइलेक्ट्रानिक्स इत्यादि जैसी कम्पनियों की उपस्थिति के साथ सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स सेक्टर का राज्य के उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान है तथा सैमसंग, एलजी इलेक्ट्रानिक्स, एचसीएल की दीर्घकालीन स्थापना और दो दशकों के अधिक समय से प्रदेश में उनका सफल कार्य–परिचालन प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश में कुशल जनशक्ति का प्रचुर भण्डार तथा उद्योगों की मॉग को पूरा करने के लिए आई.आई.टी., आई.आई.एम., आई.आई.आई.टी. इत्यादि प्रतिष्ठित संस्थान विद्यमान हैं।

इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ईकोसिस्टम को गति प्रदान करने के लिए '**उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति**' पूरे प्रदेश को आच्छादित करती है और नीति के अन्तर्गत समस्त प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश में अपना आधार स्थापित करने वाली सभी इकाइयों के लिए प्रभावी होंगे।

यह ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना में कई गुना वृद्धि के प्रति उत्प्रेरक होंगी जो न केवल अर्थ–व्यवस्था को बढ़ावा देगी, अपितु राज्य में बड़ी संख्या में रोजगार भी उत्पन्न करेंगी।

अध्याय 2 : परिकल्पना, मिशन, लक्ष्य

2.1 परिकल्पना (Vision)

नवप्रवर्तन और नवीन प्रौद्योगिकी के अनुकूल कुशल जनशक्ति के प्रभावी उपयोग द्वारा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग को उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास माध्यम के रूप में विकसित किया जाना एवं इसके द्वारा चहुॅमुखी चिरस्थायी परितंत्र (sustainable ecosystem) का सृजन तथा प्रदेश और देश की समग्र अर्थव्यवस्था में योगदान हेतु विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्द्धी बुनियादी ढॉचा और इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण उद्योग के

पुष्पित–पल्लवित होने के लिए अनुकूल नीतिगत परिवेश प्रदान करके उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसन्दीदा गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित किया जाना।

2.2 मिशन (Mission)

(i.) इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसन्दीदा गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित किया जाना।

(ii.) ई.एस.डी.एम. उद्योग के लिए राज्य में एक विश्वस्तरीय ईकोसिस्टम का निर्माण किया जाना।

(iii.) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अर्थव्यवस्था के विकास माध्यम के रूप में विकसित किया जाना।

(iv.) अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता की संस्कृति का पोषण।

(v.) उद्योग के हितार्थ उच्च गुणवत्तायुक्त सेक्टर–स्पेसिफिक प्रतिभा का पूल बनाया जाना।

2.3 लक्ष्य (Target)

(i.) रु 40,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना।

(ii.) प्रदेश में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (EMC) की स्थापना।

(iii.) प्रदेश में तीन (3) उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) की स्थापना।

(iv.) प्रदेश में घरेलू / विदेशी निवेशकों द्वारा ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना।

(v.) फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकण्डक्टर्स निर्माण में निवेश आकर्षित करना।

(vi.) रोजगार के लगभग 4 लाख अवसर राज्य में ही प्रदान करना।

अध्याय 3 : शासन–विधि (Governance)

3.1 नोडल संस्था (Nodal Agency)

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन एक नोडल संस्था नामित की जाएगी। यह संस्था राज्य में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण ईकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। यह ईकोसिस्टम के सभी हितधारकों के साथ सम्पर्क हेतु एकल खिड़की के रूप में कार्य करेगी। एकल खिड़की परिचालन के प्रबन्धन हेतु नोडल संस्था सरकार को सहयोग प्रदान करने के लिए आउटसोर्स प्रोफेशनल्स और कन्सल्टेण्ट्स तथा पर्याप्त स्टाफ सहित एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी.एम.यू.) का गठन करेगी।

3.2 नीति कार्यान्वयन इकाई (PIU)

नोडल संस्था के कार्यों की देख–रेख के लिए प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की

जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन, प्रोत्साहनों के संवितरण, सशक्त समिति को अपनी संस्तुति सहित नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। नीति कार्यान्वयन इकाई रु 200 करोड़ से कम पूँजी निवेश वाले निवेश प्रस्तावों के परीक्षण एवं नीतिगत ढॉचे के अन्तर्गत उनके अनुमोदन हेतु उत्तरदायी होगी। तथापि रू 200 करोड़ से अधिक सम्भावित निवेश वाले प्रस्तावों को आवश्यक अनुमोदन हेतु सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

3.3 सशक्त समिति (EC)

इलेक्ट्रानिक्स नीति के सफल कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति (Empowered Committee) स्थापित की जायेगी। समिति का अधिकार–पत्र (Charter) नीति के प्रभावी कार्यान्वयन तथा सभी स्तरों पर निवेशकों से सम्बन्धित मुद्दों के सामयिक समाधान हेतु अन्तर्विभागीय सामन्जस्य से सम्बन्धित होगा। रु 200 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाएँ सशक्त समिति की अनुशॅसा पर राज्य के मा. मॅत्रिपरिषद के अनुमोदन अधीन होंगी।

इस समिति में अवस्थापना एवॅ औद्योगिक विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स, वित्त, नियोजन, लघु उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, सिंचाई, आवास विभाग, श्रम तथा आवश्यकतानुसार अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव के अतिरिक्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे।

अध्याय 4 : नीति का कार्यान्वयन (Policy Implementation)

4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन (Policy period & coverage)

उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2020 उसकी अधिसूचना तिथि से 5 (पॉच) वर्षों के लिए वैध है। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश इस नीति के अन्तर्गत आच्छादित है। नीति अधिसूचना के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रस्तावों तथा किये जाने वाले निवेश हेतु प्रभावी है। नीति की अवधि के विस्तार के बारे में नीति के अन्तर्गत गठित सशक्त समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

इस नीति की अधिसूचना से पूर्व प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव तथा एक्नॉलेजमेण्ट उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अन्तर्गत शासित होते रहेंगे।

4.2 नीति का प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन (Policy promotion)

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मॅचों पर नीति के प्रचार–प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु एक विपणन एवं ब्रॉडिंग रणनीति निर्धारित की जाएगी। नोडल संस्था द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगेः–

(i.) राज्य के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा उसकी नीतियों एवॅ विभिन्न प्रोत्साहनों की एक ब्रॉण्ड छवि का सृजन
(ii.) नीति के प्रचार–प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सभायें, रोड शो तथा इवेन्ट्स का आयोजन एवं उनमें प्रतिभाग करना।
(iii.) राज्य में ई.एस.डी.एम. उद्योगों हेतु विद्यमान आकर्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया का उपयोग किया जाना।
(iv.) प्रचार–प्रसार एवं निवेश प्रस्तावों की प्रोसेसिंग के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का प्रबन्धन करना।

4.3 इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास (Infrastructure Development)

4.3.1 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC)

इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, कतिपय न्यूनतम सीमा के साथ वरीयतानुसार एक दूसरे से मिला हुआ एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहॉ ई.एस.डी.एम. इकाइयों के लिए बुनियादी ढॉचे, एमेनिटीज तथा अन्य सामान्य सुविधाओं के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। यह नीति मोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, चिकित्सा एवं रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु प्रदेश के विभिन्न भागों में तीन (3) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना को परिलक्षित करती हैः–

(i.) यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) में जेवर हवाई अड्डे के समीप, जनपद गौतमबुद्ध नगर में इलेक्ट्रानिक सिटी की स्थापना।
(ii.) बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर
(iii.) लखनऊ–उन्नाव–कानपुर जोन मे मेडिकल इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर

4.3.2 इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) पार्क्स

पूरे प्रदेश में राजकीय/निजी संस्थानों के सहयोग से ई.एस.डी.एम. पार्क्स की स्थापना की जायेगी। घरेलू एवं साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए ई.एस.डी.एम. पार्क्स के विकास को बढ़ावा दिया जाना नीति का उद्देश्य है। ई.एस.डी.एम. पार्क के विकास हेतु न्यूनतम 25 एकड़ भू–क्षेत्र की आवश्यकता है।

4.3.3 उत्कृष्टता के केन्द्र (CoE)

नीति का प्रयास ई.एस.डी.एम. उद्योग में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों (CoE) के रूप में विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर सृजित किया जाना है। नीति के अन्तर्गत भारत सरकार तथा उद्योग संघों के सहयोग से राज्य में 3 उत्कृष्टता के केन्द्रों (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत का

वहन उत्तर प्रदेश सरकार तथा शेष 75 प्रतिशत का योगदान भारत सरकार तथा उद्योग संघों द्वारा मिलकर किया जायेगा।

4.3.4 सूक्ष्म,लघु तथा मध्यम उद्यम (MSME) इकाइयों को इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता

प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों क्षेत्र में स्वयं अथवा पी.पी.पी. मॉडल पर औद्योगिक कार्यबल के निवास हेतु किराये के लिए डॉरमिटरीज के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रदेश सरकार द्वारा प्लग एण्ड प्ले मॉडल पर ई.एस. डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु निवेशकों के लिए स्वयं अथवा पी.पी.पी. मॉडल पर रेन्टल सुविधाओं के विकास को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। निजी क्षेत्रों को भी इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए डॉरमिटरीज तथा प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं का निर्माण कर उन्हें किराये पर दिये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

4.4 ई–अपशिष्ट निस्तारण (e-Waste Handling)

नीति के अन्तर्गत वैश्विक प्रथाओं के अनुसार खतरनाक पदार्थों के उपयोग पर प्रबन्धन सहित ई–अपशिष्ट (प्रबन्धन और हैण्डलिंग) नियम 2011 के क्रियान्वयन की सुविधा के लिए उद्योगों के साथ एक तन्त्र के विकास को प्रोत्साहन दिया जायेगा। राज्य में उत्पन्न ई–अपशिष्ट के लिए राज्य में ई–अपशिष्ट पुनर्चक्रण कम्पनियों (रि–साइकिलिंग इकाइयों) को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। ई–अपशिष्ट उत्पाद भारत सरकार की ई–वेस्ट नीति के अनुसार आच्छादित होंगे।

अध्याय 5 : प्रोत्साहन (Incentives)

इस नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित वित्तीय प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले प्रोत्साहनों से पृथक और उनके अतिरिक्त हैं। तथापि किसी भी इकाई को भारत सरकार से प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों को सम्मिलित करते हुए, समस्त स्त्रोतों से प्राप्त होने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, जब तक कि नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की पीएलआई योजना के अन्तर्गत लाभ को, स्थिर पूँजी निवेश के 100 प्रतिशत की सीमा के लिए सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समस्त प्रोत्साहन व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ किये जाने के उपरान्त ही प्रदान किये जायेंगे।

स्थिर पूंजी निवेश (FCI) के अन्तर्गत भवन, संयंत्र एवं उपकरण/मशीनरी जैसे पूँजीगत निवेश एवं परिसम्पत्तियॉ सम्मिलित हैं। स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु निम्नलिखित को सम्मिलित किया जायेगाः–

(i.) स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भूमि के मूल्य को शामिल नहीं किया जायेगा।

(ii.) इकाई के स्थिर पूँजी निवेश के आगणन हेतु भवन के लागत की सीमा कुल स्थिर पूँजी निवेश का अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

(iii.) पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति स्थिर पूंजी निवेश के 40 प्रतिशत तक होगी। इस प्रोत्साहन हेतु केवल उन इकाइयों को अनुमति होगी, जिनका मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया गया हो और यह विकल्प इस नीति की अधिसूचना की तिथि से प्रथम 3 वर्षों के लिए प्रथम 20 निवेशकों के लिए ही उपलब्ध होगा।

5.1 पूँजी उपादान

पूँजी उपादान केवल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा मूल्यॉकित स्थिर पूँजी निवेश अथवा आवश्यकतानुसार राज्य सरकार द्वारा गठित समिति या वित्तीय कन्सल्टेण्ट्स द्वारा मूल्यॉकित स्थिर पूँजी निवेश पर प्रदान किया जाएगा। निवेशक निम्नानुसार प्रोत्साहनों के पात्र होंगेः—

(i.) **रू0 200 करोड़ तक के निवेश** : स्थिर पूँजी निवेश पर, रू 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, 15 प्रतिशत पूँजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

(ii.) **रू0 200 करोड़ से रु 1000 करोड़ के मध्य निवेश** : पूंजी निवेश का 15 प्रतिशत रु 150 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित पूँजी उपादान प्रदान किया जायेगा जोकि 03 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा जिसमें प्रथम किश्त संबंधित इकाई द्वारा व्यवसायिक उत्पादन आरम्भ करने के उपरान्त अनुमन्य होगी।

(iii.) **रु0 1000 करोड़ से अधिक निवेश** : रु 1000 करोड़ से अधिक निवेश तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को रु 1000 करोड़ से अधिक निवेश की धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पूँजी उपादान अधिकतम रु0 100 करोड़ (कुल रु 250 करोड़) 05 वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जायेगा जोकि उस वर्ष से देय होगा जिसमें इकाई ने कम से कम अपनी 80 प्रतिशत क्षमता अर्जित कर ली हो।

अभ्युक्तिः प्लग एण्ड प्ले/किराए के भवनों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पूंजी उपादान 5 वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा, जो वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ होने के बाद देय होगा।

5.2 ब्याज उपादान

रु 200 करोड़ तक निवेश वाली इकाइयों हेतु अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर (ब्याज की दर पर) 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु प्रतिवर्ष रु 1 करोड़ की सीमा तक (अधिकतम रु 5 करोड़ प्रति इकाई) की जायेगी।

5.3 स्टाम्प ड्यूटी से छूट

(i.) एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि का कय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

(ii.) ई.एम.सी. / ई.एस.डी.एम पार्क्स की स्थापना हेतु भूमि का क्रय करने / पट्टे पर लेने पर प्रथम ट्रॉजेक्शन (भूमि के स्वामी से विकासकर्ता / एस.पी.वी.) हेतु स्टाम्प शुल्क में शत प्रतिशत छूट तथा द्वितीय ट्रॉजेक्शन (विकासकर्ता / एस.पी.वी. से ई.एस.डी.एम. इकाइयों) पर स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत छूट उपलब्ध होगी।

(iii.) स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादान आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।

5.4 पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति

सफल घरेलू पेटेन्ट्स हेतु रू 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 की सीमा तक पेटेन्ट फाइलिंग लागत की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जायेगी।

5.5 भूमि हेतु प्राविधान

(i.) ई.एम.सी. / ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी. / पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को मध्यॉचल तथा पश्चिमॉचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

(ii.) ई.एम.सी. / ई.एस.डी.एम. पार्क्स की एस.पी.वी. / पी.आई.ए. तथा एकल ई.एस.डी.एम. इकाइयों को बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 50 प्रतिशत भूमि उपादान प्रदान किया जाएगा।

(iii.) उपरोक्त (i) व (ii) पर उल्लिखित भूमि उपादान निवेशकों को कुल परियोजना लागत के 7.5 प्रतिशत अथवा रु 75 करोड, जो भी कम हो, की सीमा तक, प्रदान किया जाएगा। इस उपादान का भुगतान राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण को निवेशक के द्वारा इकाई / परियोजना के व्यवसायीकरण उपरान्त, नीति की अवधि में वास्तविक उपयोग के आधार पर विभिन्न चरणों में किया जायेगा। प्राधिकरण द्वारा इस उपादान का समायोजन इकाई की भुगतान योजना के सापेक्ष किया जायेगा।

(iv.) **फ्लोर एरिया रेशियो.:** इकाइयों को 3.0 + 1.0 (क्रय योग्य) फ्लोर एरिया रेशियो की अनुमन्यता होगी।

(v.) **कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज तथा कल्याणकारी सुविधायें:** न्यूनतम 25 एकड़ भूमि क्षेत्र में ''इण्डस्ट्रियल लैण्ड यूज'' में 30 प्रतिशत के कुल फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा तक भूमि का उपयोग कल्याणकारी सुविधाओं यथा कर्मकारों हेतु डॉरमिटरीज, कैण्टीन, डिस्पेन्सरी आदि हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी।

5.6 इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से छूट

समस्त ई.एस.डी.एम. इकाइयों को अधिकतम 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

5.7 कौशल विकास एवं अन्य सहायता

(i.) समस्त ई.एस.डी.एम. इकाइयॉ राज्य सरकार की अप्रेन्टिसशिप सहायता योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा प्रशिक्षण के दौरान भुगतान की गई स्टाइपेन्ड धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगी।

(ii.) पात्र इकाइयों को योजना का लाभ दिये जाने हेतु उ0प्र0 कौशल विकास मिशन का अनुकूलन इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के लिए आवश्यक कौशल सेट के साथ किया जायेगा।

(iii.) इस उद्देश्य के लिए ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में कौशल विकास को इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट के साथ संवर्द्धित किया जायेगा।

(iv.) 24X7 परिचालन तथा सभी तीन पालियों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति प्रदान की जायेगी।

5.8 ई.एम.सी. विकास हेतु प्रोत्साहन

भारत सरकार की संशोधित इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC 2.0) योजना के अन्तर्गत ई.एम.सी. परियोजनाओं में सामान्य सुविधाओं तथा अमेनिटीज के साथ बुनियादी ढॉचे के सृजन हेतु इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (EMC) स्थापित किये जायेंगे तथा ई.एस.डी.एम. क्षेत्र में निवेश आकृष्ट करने के लिए औद्योगिक आस्थानों/पार्क्स/क्षेत्रों में कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स (CFC)के रूप में बुनियादी ढॉचे को उच्चीकृत किया जायेगा। इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स तथा कॉमन फेसिलिटी सेन्टर्स दोनों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

5.8.1 विकासकर्ताओं हेतु प्रोत्साहन (Incentives for Developers)

(i.) सड़कों, ऊर्जा, जलापूर्ति, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के विकास पर निहित ई.एम.सी. लागत हेतु 50 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ii.) ई.एम.सी. लागत के अवशेष 50 प्रतिशत हेतु परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (PIA) तथा राज्य सरकार – प्रत्येक द्वारा 25 प्रतिशत योगदान किया जायेगा।

(iii.) कॉमन फेसिलिटी सेन्टर (CFC) की विकास लागत का 25 प्रतिशत योगदान परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा किया जायेगा, जबकि उसका शेष 75 प्रतिशत योगदान भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा।

(iv.) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

5.8.2 एकल इकाइयों हेतु प्रोत्साहन (Incentives for Individual Units)

(i.) ऍकर इकाइयों की प्रतिबद्धता कम से कम 20 प्रतिशत बिक्री योग्य भूमि तथा न्यूनतम निवेश रु 300 करोड़ तथा अधिकतम निवेश रु 750 करोड़ होनी चाहिए।

(ii.) ऍकर इकाइयों को उनके 20 प्रतिशत भू क्षेत्र में बिना सब–लीज अथवा हस्तान्तरण शुल्क के वेण्डर इकाइयॉ स्थापित किए जाने की अनुमति होगी।

(iii.) ई.एम.सी. के विकास उपरान्त एस.पी.वी. से एकल इकाइयों के पक्ष में भूमि हस्तान्तरण पर सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा कोई फीस/शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।

(v.) यदि एस.पी.वी./पी.आई.ए. द्वारा पहले ही नीति की धारा 5.8.1 के अनुरूप, भूमि उपादान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो तो इकाइयों को भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

5.9 प्राइवेट ई.एस.डी.एम. पार्क्स

(i.) भूमि उपादान की अनुमन्यता नीति के प्रस्तर 5.5 के अनुसार होगी।

(ii.) सम्बन्धित प्राधिकरण से सिंगिल विन्डो सहायता तथा प्रत्येक पार्क हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना।

(iii.) प्रति पार्क 7 वर्षों तक रु 10 करोड़ प्रतिवर्ष तथा कुल रु 50 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, वार्षिक ब्याज के 60 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति के रूप में ब्याज उपादान।

(iv.) भूमि के क्रय करने/पट्टे पर लेने पर, प्रथम ट्रांजेक्शन पर 100 प्रतिशत तथा द्वितीय ट्रांजेक्शन पर 50 प्रतिशत स्टैम्प ड्यूटी से छूट। स्टाम्प शुल्क में छूट बैंक गारण्टी के सापेक्ष प्रदान की जायेगी, जिसे वाणिज्यिक उत्पादान आरम्भ होने पर अवमुक्त कर दिया जायेगा।

5.10 फैब इकाइयॉ

फैब इकाइयों हेतु सशक्त समिति एवं मा. मॅत्रि परिषद के अनुमोदन से विशेष पैकेज जिसमें भूमि, बिजली, पानी, अवस्थापना, अंशपूंजी सहभागिता, वित्तीय प्रोत्साहन एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन इत्यादि सम्मिलित है, की अनुमन्यता होगी।

अध्याय 6 : अर्ह उत्पाद (Eligible Products)

इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु अर्ह उत्पादों की सूची अनुलग्नक–1 पर प्रस्तुत है।

अध्याय 7 : शब्दावली (Glossary)

7.1 फैब इकाई (Fab Unit)

फैब इकाई वह सेमीकण्डक्टर संरचना सॅयंत्र है, जहॉ इण्टीग्रेटेड सर्किट्स (ICs) चिप जैसी सामग्री निर्मित होती है।

7.2 इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स (EMC)

ई.एम.सी. का तात्पर्य भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति 2019 (NPE, 2019) की ई.एम.सी. 2.0 योजना के अन्तर्गत अनुमोदित ई.एम.सी. से है जो इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम्स डिजाइन तथा विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) क्षेत्र के संवर्धन को बढ़ावा देंगे।

ये क्लसटर्स विभिन्न इलेक्ट्रानिक्स कार्यक्षेत्र/वर्टिकल्स जैसेकि मोबाईल निर्माण, उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स, विद्युतीकरण, पावर इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर/सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार एवॅ इसी प्रकार के अन्य विभिन्न उपकरणों और उनकी पूरी श्रॅखला के लिए इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेन्ट्स, पार्ट्स, सब–असेम्बलीज के विनिर्माण हेतु इकाइयों को स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे।

7.3 बैंक/ वित्तीय संस्थान

समस्त अधिसूचित बैंक इसके अन्तर्गत आच्छादित होंगे। सभी वित्तीय संस्थान जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हैं और जिनका नियमन उसके द्वारा किया जाता है, इसके अन्तर्गत आयेंगे।

7.4 राज्य अभिकरण

(i.) विकास प्राधिकरण
(ii.) आवास परिषद
(iii.) उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम
(iv.) सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य की अन्य संस्था

अध्याय 8 : संक्षिप्त रूप

1.	CFC	Common Facility Center
2.	CoE	Center of Excellence
3.	Cr	Crore equals to 10 million
4.	EC	Empowered Committee

5.	EMC	Electronics Manufacturing Cluster
6.	ESDM	Electronics System Design and Manufacturing
7.	FAR	Floor Area Ratio
8.	FCI	Fixed Capital Investment
9.	GDP	Gross Domestic Product
10.	GoI	Government of India
11.	IIIT	The Indian Institute of Information Technology
12.	IIM	The Indian Institutes of Management
13.	IIT	The Indian Institute of Technology
14.	INR	The Indian rupee
15.	MeitY	Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India
16.	MSME	Micro, Small, and Medium Enterprises
17.	NPE	National Policy on Electronics
18.	PIA	Project Implementing Agency
19.	PIU	Policy Implementation Unit
20.	PPP	Public-private partnership
21.	SPV	Special Purpose Vehicle

नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहनों हेतु अर्ह उत्पादों की सूची

A	**Electronics Products including Nano-Electronics Products and Telecom Products:**
1	**Telecom products** including Optical Fibre Equipment; Terrestrial Communication Equipment; Satellite Communication Equipment; IP based new generation soft-switches/ routers including L2 and L3 switches, data networking equipment — copper/ optical — consumer and carrier grades, for public and private networks; Transport systems — DWDM, SDH, PON, Cross-connects, RF over optical fibre, Carrier Ethernet, Packet Optical Transport Platform (P-OTP); Wireless technology — GSM (2G & 2.5G), CDMA, 3G, LTE & LTE Advance, Wi-Fi, WiMAX & WiMAX Advance; Microwave Radio systems 2-70 GHz, Software defined radio, Cognitive radio, Distributed antenna systems; Equipment related to security and surveillance, processing of speech, data, image, video; Customer Premises Equipment (CPE) — PBX systems, Headends, 3G Routers, VoIP gateways, Residential gateways, Access points, Routers, Broadband CPEs, Mobile phones/ Mobile handsets/ Smart Mobile phones, Set-top boxes, Modems, dongles, data card; Short Range Devices (SRD), Sensors; VSAT based systems — Broadband, Disaster management; Non-conventional energy sources, portable mechanical chargers for handsets, computers; NMS/ OSS/ BSS systems for all above — SNMP/ Openview/ CORBA; Customer care & Billing systems; Electronics products for energy management, Advanced storage batteries such as Lithium, Video Conferencing Equipment, Optical Fibres and Optical Fibre Cables, etc.
2	**IT Hardware products** including computers (tablets, desktops etc.), servers, peripherals like printers, faxes, storage devices monitors, Automatic Teller Machines (ATM), etc.
3	**Consumer Electronics** like Televisions, Digital Cameras, Camcorders, Audio Video products, electronic watches and clocks, electronic toys, wearable electronics, electronic personal care products, etc.
4	Health and Medical Electronics
5	Strategic electronics
6	**Solar Photo Voltaic** including thin film, polysilicon etc.
7	Light Emitting Diodes (LEDs)
8	Liquid Crystal Displays (LCDs)
9	Avionics
10	**Industrial Electronic** products including measuring and control equipment, energy meters etc.
11	Nano electronic products
12	e-waste processing/ recycling
13	**Automotive Electronics** including Anti-lock braking system, Electronic Brake Distribution, Traction Control, Brushed DC Motors, etc.
14	**Agri-electronics**
15	**Energy conservation electronics**

16	**Opto-electronics**
17	**Bio-metric and identity devices/ RFID:** Smart Card manufacturing and personalization
18	**Power supplies for ESDM products**
19	**Consumer Appliances** like Refrigerators, ACs, Fully Automatic Washing Machines, Microwave Ovens, etc.
20	Electronic product design including PCB design
21	Machine to Machine (M2M) and Internet of Things (IoT) products
22	Home Fuel Cells
23	Multi-functional electronic devices
24	Semiconductor Equipment such as Automatic Test Handler, Pick & Place Machines, Test Head Manipulator and their accessories like Test Sockets, Probe Cards, ATE Load Boards, Conversion Kits, Docking Mechanisms
25	**Electronic security devices**- including CCTV/ surveillance equipment, CCTV, Access Control, intruder alarms etc.
B	**Intermediates**
1	Nano-electronic components
2	Semiconductor wafering
3	Semiconductor chips including logic, memory and analog
4	All Assembly, Testing, Marking and Packaging of ESDM Units
5	Chip components
6	Discrete Semiconductors like Transistors, Diodes
7	Power semiconductors (including diffusion) like FETs, MOSFETs, SCRs, GTDs, IGBT etc.
8	Electromechanical Components and Mechanical Parts such as Multilayer PCBs, Transformers, Coils, Connectors, Switches, Ferrites, Micro Motors, Stepper Motors, Films, Electro-plating, small precision plastic and metal parts, tools, moulds & dies, etc.
9	Consumable and Accessories such as Mobile Phone and IT accessories- Batteries Chargers etc. PCBs, Foils, Tapes, Epoxy, Cabinets, etc.
10	All Fabrication Manufacturing facilities (Fabs) for ESDM products
11	Electro-plating, small precision plastic and metal parts, tools, moulds and dies
12	Liquid Crystal Module (LCM)
13	Organic Light Emitting Diodes (OLED)
14	Chip Modules for Smart Cards
15	Analog/ Mixed Signal Semiconductor Chips
C	**Electronics Manufacturing Services (EMS)**
D	**Capital Equipment for electronic products**
E	**Raw material exclusively for electronic products**
F	**Remanufacturing of electronic products**

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
इनके साथ
यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड नीति कार्यान्वयन इकाई के रूप में
पता 10–अशोक मार्ग, लखनऊ–226 001
दूरभाष नॅ0 : 0522–2286808, 2286809, 4130303,
ई–मेल : missiondirectorate@upempolicy.in / md@uplc.in / uplclko@gmail.com
वेबसाइट: www.upempolicy.in / www.uplc.in

ध्यानकर्षण:
यह Uttar Pradesh Electronics Manufacturing Policy 2020 के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रुपान्तरण है। अतएव विषय–वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति मे अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय–वस्तु ही मान्य होगी।